राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार अभियान 2017 कैम्प ग्राम पंचायत साहिब सिंहवाला

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– यशपाल आहूजा आर.ए.एस.

अनवान :– राजस्व वाद संख्या 11/2017

1. अग्रेज सिंह
2. गुरसेवक सिंह
3. हरमीत सिंह

} पुत्रान बलविन्द्रसिंह जाति जटसिख निवासी साहिबसिंहवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

4. भूपेन्द्र सिंह पुत्र गुरजीत सिंह जाति जटसिख निवासी साहिबसिंहवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
5. गुरजीत सिंह पुत्र गुरदेव सिंह जाति जटसिख निवासी साहिबसिंहवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

– – वादीगण

–:: बनाम ::–

1. गुरदास सिंह पुत्र वरियाम सिंह जाति सिख निवासी 3 एम साहिबसिंहवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
2. कुलदीप सिंह पुत्र गुरदेव सिंह जाति सिख निवासी 3 एम साहिबसिंहवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
3. गुरमेल सिंह पुत्र दरबारा सिंह जाति सिख निवासी 3 एम साहिबसिंहवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
4. निर्मल सिंह पुत्र दरबारा सिंह जाति सिख निवासी 3 एम साहिबसिंहवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
5. शमशेर सिंह पुत्र पाल सिंह जाति सिख निवासी 3 एम साहिबसिंहवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
6. जरनैल सिंह पुत्र पाल सिंह जाति सिख निवासी 3 एम साहिबसिंहवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
7. सुखदीप सिंह पुत्र जसकरण सिंह जाति सिख निवासी 3 एम साहिबसिंहवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
8. सिवलजीत कौर पुत्री जसकरण सिंह जाति सिख निवासी 3 एम साहिबसिंहवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
9. शमिन्द्र कौर पत्नी जसकरण सिंह जाति सिख निवासी 3 एम साहिबसिंहवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
10. जगसीरसिंह पुत्र मलकीत सिंह जाति सिख निवासी 3 एम साहिबसिंहवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
11. जसविन्द्र कौर पत्नी मलकीत सिंह जाति सिख निवासी 3 एम साहिबसिंहवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
12. कुलजीत सिंह पुत्र राजेन्द्र सिंह जाति सिख निवासी 3 एम साहिबसिंहवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
13. जगजीत सिंह पुत्र राजेन्द्र सिंह जाति सिख निवासी 3 एम साहिबसिंहवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

लगातार 2

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

14. इकबाल सिंह पुत्र बख्शीश सिंह जाति सिख निवासी 3 एम साहिबसिंहवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
15. सुखपाल सिंह पुत्र बख्शीश सिंह जाति सिख निवासी 3 एम साहिबसिंहवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
16. कुलदीप सिंह पुत्र रण सिंह जाति सिख निवासी 3 एम साहिबसिंहवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
17. सतनाम सिंह पुत्र गुरजण्ट सिंह जाति सिख निवासी 3 एम साहिबसिंहवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
18. अंग्रेज कौर पत्नी गुरजण्ट सिंह जाति सिख निवासी 3 एम साहिबसिंहवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
19. बलदेव सिंह पुत्र शाम सिंह जाति सिख निवासी 3 एम साहिबसिंहवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
20. सुखदीप सिंह पुत्र बलदेव सिंह जाति सिख निवासी 3 एम साहिबसिंहवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
21. जीत सिंह पुत्र भाग सिंह जाति सिख निवासी साहिबसिंहवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
22. मलकीत सिंह पुत्र भाग सिंह जाति सिख निवासी साहिबसिंहवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
23. चड़ सिंह पुत्र भाग सिंह जाति सिख निवासी साहिबसिंहवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
24. हर्षपिन्द्र सिंह पुत्र कलदीप सिंह जाति सिख निवासी 3 एम साहिबसिंहवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
25. बलबीर कौर पत्नी जीत सिंह जाति सिख निवासी 3 एम साहिबसिंहवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
26. जलन्धर सिंह पुत्र जीत सिंह जाति सिख निवासी 3 एम साहिबसिंहवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
27. भूपेन्द्र सिंह पुत्र जीत सिंह जाति सिख निवासी 3 एम साहिबसिंहवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
28. कलवन्त सिंह पुत्र जीत सिंह जाति सिख निवासी 3 एम साहिबसिंहवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
29. भूपेन्द्र कौर पुत्री जीत सिंह जाति सिख निवासी 3 एम साहिबसिंहवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
30. बिन्द्र कौर पुत्री जीत सिंह जाति सिख निवासी 3 एम साहिबसिंहवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
31. हतिन्द्र सिंह पुत्र कृपाल सिंह जाति सिख निवासी 3 एम साहिबसिंहवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
32. स्टेट आफ राजस्थान – जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर।

– – **प्रतिवादीगण**

दावा अन्तर्गत धारा 53, 88 आर.टी.ए. बाबत विभाजन एवम् खातेदारी अधिकारों की घोषणा

लगातार 3

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

—:: उपस्थित अभिभाषकगण ::—

1. श्री राजेश गुम्बर अधिवक्ता — वादी
2. श्री वरूण दीक्षित अधिवक्ता — प्रतिवादीगण सख्या 1 ता 31

A11/3

—:: निर्णय ::—

दिनांक :— 31.05.2017

वादीगण ने प्रतिवादीगण के विरूद्ध यह वाद अन्तर्गत धारा 53, 88 आर.टी.ए. के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसका संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है, कि वादीगण तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 31 के नाम से चक 3 एम तहसील श्रीगंगानगर के खाता संख्या 56/53, 38/35, 37/34, 23, 31 के विभन्न मुरब्बों में संयुक्त खाता की कृषि भूमि खातेदारी दर्ज है।

मौका पर अरसा दराज से उपरोक्त खातों का विभाजन आपसी सहमती से किया जाकर वादीगण के कब्जा काश्त में निम्न प्रकार से भूमि चली आ रही है, जिसमें वादीगण द्वारा भारी मेहनत व काफी रूपया लगाकर सुधार किया हुआ है। तथा भूमि को काफी उपजाऊ बनाया हुआ है। अतः वह उपरोक्त खातों की भूमि का विभाजन कब्जा काश्त के आधार पर करवाकर अपनें नाम से अपनें कब्जा काश्त की निम्नलिखित भूमि को किला वाईज दर्ज करवाना आवश्यक हो गया है :—

वादी संख्या 1 ता 3 के हिस्सा व कब्जा काश्त की भूमि का विवरण :—

क्र.सं.	खाता संख्या	मुरब्बा नम्बर	किला नम्बर	कुल भूमि
1.	37	39	21 ता 24 प्रत्येक 10—10 बिस्वा	5.055 हैक्टर
		07	6 ता 8 सालम, 9/.110, 11 ता 16, सालम 17/.168	
2.	23	29	3/.079, 4/.253, 13/.249	
3.	31	39	19/.052, 20/.253, 25/.059	
4.	38	2	25/.206	
5.	56	8	4, 7, 14 सालम सालम, 17/.085	

वादी संख्या 4 के हिस्सा व कब्जा काश्त की भूमि का विवरण :—

क्र.सं.	खाता संख्या	मुरब्बा नम्बर	किला नम्बर	कुल भूमि
1.	38	33	11 ता 15, 21 ता 24	3.035 हैक्टर
		34	9, 11, 12	

वादी संख्या 5 के हिस्सा व कब्जा काश्त की भूमि का विवरण :—

क्र.सं.	खाता संख्या	मुरब्बा नम्बर	किला नम्बर	कुल भूमि
1.	38	34	10 सालम	0.253 हैक्टर

राजस्व रिकार्ड में भूमि मुश्तर्का खाता में दर्ज होनें से प्रतिवादीगण के मन में गलत लालच आ गया है तथा वह अच्छी भूमि मुन्तकिल करनें की कोशिश में है तथा वादीगण को उनके कब्जा काश्त की भूमि जिसमें उन्होनें सुधार कार्य करवा रखा है, इसी कारण भूमि काफी कीमती हो जानें से प्रतिवादीगण के मन में गलत लालच आ गया है तथा वह हमें बेदखल करनें व अच्छा रकबा को मुन्तकिल करनें की कोशिश में है यदि वह इसमें सफल हो गये तो ना पुरा होनें वाला नुकसान होगा अतः वादीगण के लिये मौजूदा वाद लाना आवश्यक हो गया है।

वादीगण नें प्रतिवादीगण से बार बार आग्रह किया कि वह उपरोक्त खातों में से वादीगण के कब्जा काश्त की भूमि के खातों का विभाजन करवाकर वादीगण के नाम से

लगातार 4

केलावाईज दर्ज करवाये मग रवह लालचवश होनें से टाल मटोल करते हुए दिनांक 08.01.2017 को साफ इन्कारी है अतः यही बिनाय मुखास्मत है।

अतः वाद वादी पेश कर अर्ज है, कि वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर वाद वादीगण बहक वादीगण बहक खिलाफ प्रतिवादीगण निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावे :–

(क) डिक्री घोषणा व खाता विभाजन चक 3 एम तहसील श्रीगंगानगर के खाता संख्या 37, 23, 31, 38, 56 कि विभिन्न मुरब्बा में स्थिति भूमि में से वादीगण को खाता विभाजन करवाते हुए कब्जा काश्त के आधार पर निम्न प्रकार से भूमि वादीगण के नाम दर्ज करनें का आदेश फरमाया जावे :–

वादी संख्या 1 ता 3 अंग्रेज सिंह, गुरसेवकसिंह, हरमीतसिंह के नाम :–

क्र.सं.	खाता संख्या	मुरब्बा नम्बर	किला नम्बर	कुल भूमि
1.	37	39	21 ता 24 प्रत्येक 10–10 बिस्वा	5.055 हैक्टर
		07	6 ता 8 सालम, 9/.110, 11 ता 16, सालम 17/.168	
2.	23	29	3/.79, 4/.253, 13/.249	
3.	31	39	19/.052, 20/.253, 25/.059	
4.	38	2	25/.206	
5.	56	8	4, 7, 14 सालम सालम, 17/.085	

वादी संख्या 4 भूपेन्द्र सिंह के नाम :–

क्र.सं.	खाता संख्या	मुरब्बा नम्बर	किला नम्बर	कुल भूमि
1.	38	33	11 ता 15, 21 ता 24	3.035 हैक्टर
		34	9, 11, 12	

वादी संख्या 5 गुरजीतसिंह के नाम :–

क्र.सं.	खाता संख्या	मुरब्बा नम्बर	किला नम्बर	कुल भूमि
1.	38	34	10 सालम	0.253 हैक्टर

(ख) खर्चा मुकद्मा दिलाया जावे।

(ग) अन्य कोई अनुतोष जो वादीगण के हित में हो वह भी प्रदान किया जावे।

वाद वादी दर्ज रजिस्टर किया गया प्रतिवादी भी शिविर में उपस्थित आया प्रतिवादी को लोक अदालत के बारें में विस्तृत रूप से समझाया गया।

वादीगण तथा प्रतिवादीगण द्वारा लोक अदालत की भावना प्रेरित होकर जरिये अधिवक्ता राजीनामा पेश किया गया जो बाद सहमती तस्दीक किया गया। राजीनामा में कथन किया गया कि वादीगण तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 31 का पंचायती राजीनामा हो चुका है, वादीगण द्वारा जो कृषि भूमि के सम्बंध में डिक्री चाही गई है। उस पर वादीगण तथा प्रतिवादीगण को कोई आपत्ति नहीं है।

स्टेट की और से जबाब प्रस्तुत हुआ जिसमें कथन किया कि वाद में वर्णित भूमि में उभयपक्ष आपसी सहमती से लोक अदालत की भावना से विभाजन करना चाहते है। लोक अदालत की भावना से विभाजन किया जाता है तो स्टेट को कोई एतराज नहीं है।

पत्रावली का अवलोकन किया बाद अवलोकन पक्षकारान के मध्य लोक अदालत की भावना से राजीनामा होनें के कारण वाद वादी को स्वीकार किया जाना न्यायोचित पाया गया।

अतः उभयपक्ष के मध्य लोक अदालत की भावना से हुए राजीनामा को स्वीकार किये जानें पर वाद पत्र विधि अनुसार एवम् लोक अदालत की भावना के अनुरूप है इसलिये राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के अन्तर्गत वादी संख्या 1 ता 3 अग्रेज

लगातार 5

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

सिंह, गुरसेवक सिंह, हरमीत सिंह पुत्रान बलविन्द्रसिंह जाति जटसिख निवासी साहिबसिंहवाला को 5.055 हैक्टर भूमि वादी संख्या 4 भूपेन्द्र सिंह पुत्र गुरजीत सिंह जाति जटसिख निवासी साहिबसिंहवाला को 3.035 हैक्टर भूमि तथा वादी संख्या 5 गुरजीत सिंह पुत्र गुरदेव सिंह जाति जटसिख निवासी साहिबसिंहवाला को 0.253 हैक्टर भूमि का खातेदार घोषित किया जाकर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53 के अन्तर्गत वादीगण की भूमि का राजीनामा के आधार पर निम्नानुसार विभाजन किया जाता है :–

वादी संख्या 1 ता 3 अंग्रेज सिंह, गुरसेवकसिंह, हरमीतसिंह के हिस्सा की भूमि :–

क्र.सं.	खाता संख्या	मुरब्बा नम्बर	किला नम्बर	कुल भूमि
1.	37	39	21 ता 24 प्रत्येक 10–10 बिस्वा	5.055 हैक्टर
		07	6 ता 8 सालम, 9/.110, 11 ता 16, सालम 17/.168	
2.	23	29	3/.79, 4/.253, 13/.249	
3.	31	39	19/.052, 20/.253, 25/.059	
4.	38	2	25/.206	
5.	56	8	4, 7, 14 सालम सालम, 17/.085	

वादी संख्या 4 भूपेन्द्र सिंह के नाम :–

क्र.सं.	खाता संख्या	मुरब्बा नम्बर	किला नम्बर	कुल भूमि
1.	38	33	11 ता 15, 21 ता 24	3.035 हैक्टर
		34	9, 11, 12	

वादी संख्या 5 गुरजीतसिंह के नाम :–

क्र.सं.	खाता संख्या	मुरब्बा नम्बर	किला नम्बर	कुल भूमि
1.	38	34	10 सालम	0.253 हैक्टर

तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि समस्त प्रकार से भार मुक्त होनें की दशा में उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/ गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। पर्चा डिक्री जारी की जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

आदेश आज दिंनाक 31.05.2017 को लिखवाया जाकर राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार अभियान 2017 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत साहिबसिंहवाला में मजमे आम में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर

(यशपाल आहूजा)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर